भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 311

(जिसका उत्तर सोमवार, 24 जून, 2019/3 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट शोधन अक्षमता समाधान

311. श्रीमती राम्या हरिदासः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्ण कंपनियों तथा जहां कारपोरेट शोधन अक्षमता समाधान के माध्यम से उनको सुधारने की प्रक्रिया जारी है, के छोटे और सीमान्त शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं;
(ख) क्या इन कंपनियों की उपयुक्त जांच करके इनके प्रबंधकों द्वारा किसी अनियमितता का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं;
(ग) क्या ऋणदाताओं की समिति को समाधानकर्ता व्यवसायियों द्वारा किए गए प्रस्तावों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है; और
(घ) क्या उन्हें कोई दिशा-निर्देश दिए गए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क): दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, परिसंपत्तियों के मूल्य को उच्चतम सीमा तक ले जाना और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना है। इसके अतिरिक्त, संहिता की धारा 31 में व्यवस्था है कि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण आदेश द्वारा धारा 30 की उपधारा (2) में यथासंदर्भित अपेक्षाओं को पूरा करते हुए धारा 30 की उपधारा(4) के अधीन लेनदार समिति द्वारा यथा-अनुमोदित संकल्प योजना को अनुमोदित करेगा।

(ख): संहिता की धारा 43 से 51 और 66 में समाधान वृत्तिक अथवा समापक को, पक्षपात, अधोमूल्यांकन, परिहार्य जबरन वसूली और कपटपूर्ण संव्यवहारों से बचने के लिए कार्रवाई करने का आग्रह है। इसके अतिरिक्त, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का विनियमन 35क ऐसी समय-सीमा निर्धारित करता है जिसके भीतर समाधान वृत्तिक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी राय बनाए और निर्धारित करे कि क्या कारपोरेट देनदार उपर्युक्त धाराओं के अधीन समाहित किसी संव्यवहार में संलिप्त है और यह कि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को समुचित निदेशों के लिए आवेदन करना है? जब भी समाधान वृत्तिक को संहिता की उपर्युक्त धाराओं और विनियमनों के अधीन कोई अनियमितता दिखाई देती है तो उसे निदेशों के लिए न्याय निर्णयन प्राधिकरण के समक्ष फाइल किया जाता है।

(ग) और (घ): धारा 30(4) में, अन्य के साथ-साथ, व्यवस्था है कि लेनदार समिति, बोर्ड द्वारा यथा-निर्दिष्ट व्यवहार्यता और कुछ ऐसी अन्य अपेक्षाओं पर विचार करने के पश्चात्, वित्तीय लेनदारों के मतदान अंश के कम से कम 66 प्रतिशत मतदान से संकल्प योजना को अनुमोदित कर सकती है।

****